




माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

कार्यालय आदेश

क्रमांक :- परीक्षा II / ई. एक्स/6/पात्रता/- 2851

दिनांक 30/5/11

विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र 2000/- रुपये की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी तथा अगले वर्ष यदि वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो उस पर प्रति छात्र 10,000/- रुपये की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी।


(एम.आर.शर्मा)
सचिव

(सचिव)
अजमेर

कृपया पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर - 305 001 के नाम सम्बोधित कीजिए।

• PBX Tel. : 0145-2632866, 2632867, 2632868, 2632869, 2632870, 232871, 2632872, 73

• E-mail : secy-boserr-rj@nic.in Web site- www.rajeduboard.nic.in

• Fax : 0145-2420429 ग्राम - राजरीकबोर्ड